(6)

न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–05/2014

बलदेव चीक बड़ाईक
बनाम
कृष्णा कुमार साहू

आदेश

अपीलार्थी बलदेव चीक बड़ाईक वल्द स्व0 सुलोचन दास चीक बड़ाईक ग्राम हुरदा, थाना – बानो, जिला – सिमडेगा ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय के एस0ए0आर0 वाद संख्या 30/2012–13 (बलदेव दास चीक बड़ाईक बनाम कृष्ण कुमार साहू) में दिनांक 04.07.2014 को अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद दायर किया है।

अपीलवाद दिनांक 08.01.2015 को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया है एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग किया गया है। दिनांक 23.06.2015 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ है।

विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होकर कारणपृक्षा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। विपक्षी दिनांक 18.02.2016 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए है विपक्षी ने दिनांक 04.08.2016 को Rejoinder दाखिल किया है।

उभय पक्ष को इस वाद मे अंतिम रूप से दिनांक 25.11.2020 को सुना गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्न बातें न्यायालय के समक्ष रखी गई :–

वादगत् भूमि आवेदक के पिता श्री सुलोचन दास को भूदान योजना के अन्तर्गत बन्दोवस्ती केस संख्या 13/1964–65 से प्राप्त हुआ है।

उत्तरवादी के द्वारा मेरे पिता श्री सुलोचन दास को चीक बड़ाईक के स्थान पर कोष्टा जाति का दिखाते हुए डीड संख्या 330/1989 के द्वारा बंदोवस्त भूमि 0.33 एकड़ मे से 0.10 एकड़ भूमि का क्रय किया गया है जिसमें CNT की धारा 46 एवं बंदोवस्त भूमि के हस्तांतरित नहीं किये जाने के शर्त का उल्लंघन किया गया है।

अपीलार्थी एवं उसके पिता सुलोचन दास चीक बड़ाईक, खतियानी रैयत कपिल चीक बड़ाईक के वैध वारिस है। ग्राम – खटखुटा, थाना – तोरपा, जिला – खुंटी के खाता संख्या 92 एवं 59 के खतियान की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदक के दादा खतियानी रैयत कपिल चीक बड़ाईक वल्द भोका चीक बड़ाईक को कौम चीक बड़ाईक साबित किया गया है। अपीलार्थी के पिता सुलोचन दास द्वारा ग्राम – हुरदा थाना– बानो में केवाला संख्या 314/1964 के द्वारा भूमि के क्रय के क्रम में केवाला में जाति चीक बड़ाईक अंकित किया गया है।

अपीलार्थी बलदेव चीक बड़ाईक द्वारा अंचल कार्यालय, बानो का जाति प्रमाण पत्र संख्या – 3537 दिनांक 01.11.2010 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा का जाति प्रमाण पत्र संख्या 4549 दिनांक 09.11.2010 संलग्न किया गया है जिसमें बलदेव चीक बड़ाईक का जाति चीक बड़ाईक अंकित है।

उत्तरवादी द्वारा भूमि के क्रय में CNT Act की धारा 46(i) का उल्लंघन किया गया है। भूमि का निबंधित केवाला से क्रय मात्र से भूमि पर हक या दावा सावित नही होता है। अपीलार्थी का कहना है कि बंदोवस्त भूमि पर भी Occupany Right हासिल है इसलिए धारा 71A लागू होता है।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए वादगत भूमि को वापस दिलाया जाय।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपने पक्ष में मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई है:-

1. प्रश्नगत भूमि मौजा हुरदा थाना नं0 06 थाना – बानो, जिला – सिमडेगा के खाता नं0 3/1 प्लाट नं0 597 रकबा 0.33 एकड़ मे से 0.10 एकड से संबंधित है।

2. उक्त प्रश्नगत भूमि को विपक्षी ने आवेदक के पिता श्री सुलोचन दास जाति कोस्टा से मो0 5000.00 (पांच हजार रूपये) में दिनांक 01.05.1989 को निबंधित केवाला से खरीदगी किये है। जिसका निबंधित केवाला संख्या 330/89 है तथा उसी समय से दाखिल खारिज कराकर दखलकार चले आ रहे हैं एवं साल दर साल सरकारी मालगुजारी रसीद अपने खास नाम से कटवाते आ रहे है। निबंधित केवाला संख्या 330/89 दिनांक 01.05.1989 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति, मालगुजारी रसीद का छायाप्रति वर्ष 2009–10, 2010–11 तक की तथा शुद्धि पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

3. आवेदक बलदेव चीक बडाईक ने एक सह ग्रामीण नकुल चन्द्र साहू के खिलाफ भी एस0ए0आर0 वाद संख्या 53/ 2007–08 दायर किया था जिसका फैसला दिनांक 04.07.2012 को हुई, जिसकी सच्ची प्रतिलिपि का छायाप्रति एवं उसी वाद में बलदेव बड़ाईक द्वारा दिया गया जवाब दिनांक 03.01.2008 का सच्ची प्रतिलिपि का छायाप्रति दाखिल किया गया है।

4. बलदेव दास बडाईक (आवेदक) सरकारी सहायता की राशि 10000.00 (दस हजार) रूपये के लालच में झूठा मुकदमा दायर करते है जो कि न्यायालय को गुमराह करना है।

5. आवेदक अपने को अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, बताकर न्यायालय में मुकदमा करते है तथा इनके पिता अपनी जाति कोस्टा बताकर जमीन विक्री करते है। दोनों पिता-पुत्र की जाति या तो चीक बड़ाईक हैं या कोस्टा जाति के है। परन्तु आवेदक द्वारा दिया गया जवाब एस0ए0आर0 वाद संख्या 53/ 2007–08 का अवलोकन से स्पष्ट है कि वे सामान्य जाति के है। आदिवासी के श्रेणी मे नही आते है। अतः आवेदक का आवेदन खारिज करने के काबिल है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि अपीलार्थी को बंदोवस्ती पट्टा के माध्यम से प्राप्त है। बंदोवस्ती पट्टा में यह शर्त अंकित है "This Land is not Saleable or Transferable" के बावजूद अपीलार्थी के पिता सुलोचन दास के द्वारा भूमि की बिक्री की गई है। अपीलार्थी के पिता द्वारा भूमि की बिक्री के समय केवाला संख्या 330/1989 में जाति कोस्टा अंकित किया गया है जबकि केवाला संख्या 314/1964

में भूमि क्रय के समय जाति **चीक बड़ाईक** अंकित किया गया है जिसमें अपीलार्थी के पिता की सहमति प्रतीत होती है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा किये गये बहस/ तर्क को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद की भूमि बन्दोवस्ती की भूमि है। अपीलार्थी के पिता को यह जमीन अपने निजी उपयोग हेतु बन्दोवस्त किया गया है किन्तु उन्होनें बन्दोवस्ती की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की बिक्री विपक्षी कृष्ण कुमार साहू के साथ की है एवं बिक्री पट्टा में अपने को जाति कोस्टा बताया है। बंदोवस्त भूमि की बिक्री करना विधिसम्मत नहीं है। साथ ही अपीलार्थी बलदेव चीक बड़ाईक द्वारा CNT Act के तहत भूमि वापसी का मुकदमा करना भी गलत है क्योंकि बन्दोवस्ती भूमि की वापसी हेतु CNT Act की धारा 71A के तहत वाद पोषणीय नही है।

अतः अपीलार्थी का भूमि वापसी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा को आदेश दिया जाता है कि भूमि का भौतिक सत्यापन कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा को निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ भेजा जाय एवं आदेश की प्रति उभय पक्ष को भी हस्तगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

7.12.20

उपायुक्त,
सिमडेगा।

07.12.20

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 12:12:11 +05:30
Location: 192.168.0.115